पिछड़ा वर्ग उत्थान और डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर

डॉ0 निंरकार सिंह
एसो0 प्रोफे0, समाजशास्त्र विभाग
एम0जी0एम0 कॉलिज, सम्भल
ईमेल - nirankarsinghmgm@gmail.com

सारांश

बीसवीं सदी के विश्व के शीर्षस्थ विचारकों में बाबा साहेब डा0 भीमराव अम्बेडकर का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान और विचारक थे। 26 जनवरी, 1950 को भारत के नागरिकों को भारत का संविधान देते हुये डा0 अम्बेडकर ने कहा था कि "हम भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता आदि के अधिकार देने की घोषणा करते हैं।"

विश्वरत्न बाबा साहब के उज्जवल व्यक्तित्व और सामाजिक न्याय प्राप्ति के लिये उनके अनवरत संघर्ष को देखकर नेहरू जी ने कहा था– "डा0 अम्बेडकर उच्चकोटि के देशभक्त और सामाजिक क्रांतिकार थे। जिस वर्ग में उनका जन्म हुआ था उसमें यदि मैं भी पैदा हुआ होता तो मैं भी वही करता जो उन्होंने किया था।" भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली डा0 राधाकृष्णन के शब्दों में डा0 अम्बेडकर सच्चे देशभक्त थे। लोकतांत्रिक प्रणली से नवीन समाजिक व्यवस्था स्थापित करना उनका उद्देश्य था। संविधान के निर्माता के रूप में देश के इतिहास में डा0 अम्बेडकर के योगदान को देश में सदैव ही श्रद्धा के साथ याद किया जायेगा। सामाजिक न्याय के लिये तो वे सदैव संघर्षरत रहे लेकिन देश की एकता अखण्डता को किसी भी रूप में क्षति न पहुँचने पाये इसके लिए भी वे सदैव प्रयत्नशील रहे। उनका कहना था कि संविधान कितना अच्छा क्यों न हो उसका अनुपालन करने वाले यदि बुरे हैं तो संविधान भी बुरे रूप में ही प्रकट होकर रहेगा। देश ऐसे महापुरूष के ऋण से कभी भी उऋण नहीं हो सकेगा।

मुख्य बिन्दुः– *पिछड़ा वर्ग , उत्थान, डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर*

प्रस्तावना

भारतीय समाज के समाजशास्त्रीय अध्ययन में पिछड़े वर्ग की भूमिका का अध्ययन क्षेत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित अध्ययनों के पर्यवेक्षण से हम पाते है कि यह सिद्धान्ततः अर्थव्यवस्था, समाज एवं राजनीति के संगम पर पाया जाता है। किन्तु मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार समाज द्विवर्गीय व्यवस्था में विभाजित है। परन्तु पिछड़ा वर्ग भारतीय समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्रुवीकृत वर्ग रहा है।

पिछड़े वर्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1917–18 ई0 में और इसके बाद सन् 1930–31 में किया गया । सन् 1934 में मद्रास में प्रातीय स्तर के पिछड़े वर्ग संघ की स्थापना की गयी जिसमे सौ से भी अधिक जातियों को सम्मिलित किया गया जिनकी कुल संख्या मद्रास की जनसंख्या की 50 प्रतिशत थी। सन् 1937 में दानवकोर राज्य में उन सभी समुदायों के लिए ''पिछड़े समुदाय'' शब्द का प्रयोग किया जो आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। सन् 1947 में बिहार में पिछड़े वर्ग महासंघ की स्थापना की गई और बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद के अध्ययन हेतु कुछ सुविधाओं की घोषणा की। राजनीतिकोष में पिछड़े वर्गो को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, ''पिछड़े हुऐ वर्गो का अभिप्राय समाज के उस वर्ग से है जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक निर्योग्ताओं के कारण समाज के अन्य वर्गो की तुलना में स्तर पर हो। यद्यपि संविधान में इस शब्द समूह का अनेक स्थानों पर प्रयोग हुआ है (अनुच्छेद 16(4) तथा 340 में), परन्तु इसकी परिभाषा कहीं नही की गई। संविधान में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पिछड़े वर्गो के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं।

पश्चिम में विकसित स्वतन्त्रता, समानता, बुद्धिवाद, लोकतन्त्र आदि मुल्यों ने भारतीय समाज को प्रभावित किया तथ परम्परा से प्रचलित मानवता विरोधी, असंगत रीति –रिवाजों को त्यागकर समाज सुधार की प्रेरणा दी। इसप्रक्रिया ने पश्चिमी शिक्षा, साहित्य, विचारों आदि से प्रभावित पिछड़े वर्गो का विकास हुआ। भारतीय समाज व्यवस्था सामंती चरित्र की थी जो सदैव स्वार्थ पूर्ति, आकांक्षाओं तथा अहं के लिए परस्पर संघर्ष में ही लिप्त रहेती थी। मध्ययुगीन कुलीन तन्त्र के वर्ग चरित्र को ध्यान में रखते हुए उस समय के समाज को इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है–

1. ब्राहमण तथा क्षत्रिय
2. व्यावसायिक वर्ग
3. शिल्पी तथा कारीगर (पिछड़ा वर्ग)
4. कामगार वर्ग (अछूत)

ये सभी वर्ग कठोरता के साथ अपनी जातियों तथा व्यवसायों से जुड़े थे और इनमें परम्परागत व्यवसाय को त्यागकर नया व्यवसाय ग्रहण करने का प्रायः साहस नही था। ये वैज्ञानिक शिक्षा तथा शोध से वंचित थे और उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि के अवसर प्रायः नगण्य थे। उन्हें कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नही था। और व्यावसायिक प्रशिक्षण वंशानुत था जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित होता था।

मुस्लिम शासन के दौरान ढांचे का सामन्ती रूप और सुदृढ़ हो गया। अपने हिन्दु सहयोगियों के साथ–साथ मुस्लिम सामन्त शक्ति प्रदर्शन करते रहे यथा काजी और मुक्ती के धार्मिक क्षेत्र का अस्तित्व हिन्दु धार्मिक क्षेत्र के साथ–साथ विद्यमान रहा। अतः मुस्लिम शासन ने सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के बजाय मात्र अभिजात वर्गीय व्यक्तियों या विभागों को स्थानान्तरित किया।

यह मात्र एक वर्ग द्वारा दूसरे अभिजात वर्ग का स्थान ले लेना है न कि संरचना एवं प्रकार्य में किसी प्रकार का अन्तर है। हिन्दुओं मुसलमानों तथा अन्य समुदायों में उद्भूत विभिन्न धार्मिक सामाजिक सुधार आन्दोलनों का संगठन इन सम्प्रदायों के बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग ने ही किया। इस वर्ग के सदस्य डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने दलित जातियों के बीच सामाजिक सुधार और राजनैतिक शिक्षा के नेतृत्व का आन्दोलन किया।

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर में प्रखर सामाजिक चेतना थी। वे मूलतः एक सामाजिक विचारक थे उके राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व शैक्षणिक आदि विचार सामाजिक चिन्तन के विविध पक्ष थे। सामाजिक क्षेत्र में ही उनकी क्रियाशीलता और उनका चिन्तन मूलतः दलित वर्ग के सम्बन्ध में ही था। जिसके वे स्वयं एक अंग थे। आज जो पिछड़ा वर्ग हमें दिखाई दे रहा है यह वर्ग वास्तवमें दलित वर्ग ही है। क्योकि व्यावसायिक वर्ग अलग है, और कामगार वर्ग ही (अछूत) या पिछड़ा वर्ग है। आरक्षण के सम्बन्ध में डॉ0 अम्बेडकर जी ने स्ट्रेफोर्ड क्रिप्स से कहा था कि वे धार्मिक नेता होने की अपेक्षा अपने समुदाय का नेता होना पसन्द करेंगे। वे प्रत्येक व्यक्ति का मुल्यांकन दलित वर्ग के प्रति उसकी सेवाओं के मापदण्ड से किया करते थे। पिछड़ा वर्ग समाज का वह भाग है, जो मुख्यतः कृषि द्वारा जीवनयापन करता है। इसमें प्रमुखतः वे जातियां सम्मिलित हैं जो दलितो से उच्च एवं सवर्णो से निम्न समझी जाती हैं। दूसरे शब्दों में इस वर्ग में मध्यम श्रेणी की जातिया आती है। पिछड़ापन व्यक्तिकानही वरन् समूह का लक्षण है। पिछड़ेपन के तीन आधार माने गये हैः सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक।

सर्वप्रथम देश में सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गो को सात करने के लिए 29 जनवरी 1953 को कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयेग बनाया गया। यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आयोग था इसके बाद बिहार सरकार ने 1978 में मुगेरीलाल कर्नाटक सरकार ने 1972 में एल0 पी0 मण्डल हवानूर, तथा 1970 में केरल सरकार ने पी0 डी0 नेट्टूर की अध्यक्षता में आयोग की स्थापना की जा चुकी थी। सन् 1977 में वी0 पी0 मण्डल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गो कें लिए जो रिपोर्ट सरकार को सौपी गयी उसी के आधार पर सन् 1982 में सरकार ने पिछड़े वर्गो को सरकारी व गैर सरकारी नौकरियों में 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने का सुझाव 3743 जातियों को पिछड़ी जाती घोषित की गयी।

बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर द्वारा किये गये कार्यो से ही आज ऐंसा महसूस हो रहा है कि डॉ0 अम्बेडकर ने मनुवादियों के प्रति विद्रोह के जो बीज बोये थे– आज अंकुरित होकर एक नया जनसैलाब के रूप में सामने आ रहा है। इसको मूर्तरूप देने के लिए दलित, पिछड़े व मुस्लिम में आयी नयी राजनेतिक चेतना को जो बल मिला है इससे यह साफ पता चल रहा है। कि भारत का पिछड़ा वर्ग अब निःसंदेह जाग रहा है।

मुठ्ठी भर सवर्णो के सामाजिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए पिछड़ा वर्ग अपने पर विश्वास कर परम्परावादी सवर्णो को निरूत्तर कर रही है। इस आन्दोलन से सवर्णो को भी लगने लगा है कि पिछड़ा वर्ग अब पिछड़ा वर्ग नही रहा। इसलिए सवर्ण तरह–तरह के हथकण्डे अपना कर पिछड़े वर्गो को पीछे करने में लगा है। जिससे पिछड़ा वर्ग आन्दोलन में और धार आती नजर

आ रही है। यह सत्य है कि बौद्ध युग और भक्ति आंदोलन के बाद इतने बडे पैमाने पर दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग एक साथ अपने हक के लिए आगे आया जिसका श्रेय बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर जी को है। जिसके चजले दलितों और पिछडों को समाज में स्थान तो प्राप्त हुआ ही राजनैतिक चेतना को भी बल मिला।

किसी भी देश के विकास में उस देश की प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक एवं महापुरूषों के चिन्तन एवं दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार बाबा साहब ने भारत को स्वतंत्रता ही नही दिलायी बल्कि भारत के लोगो को जीने का आधार दिया जिस पर भारत का एक बड़ा हिस्सा अपने रोजी–रोटी की व्यवस्था में लग गया। बाबा साहब की ही देन है कि लोग अपने जीने का अधिकार समझ गये। बाबा साहब के सक्रिय प्रयास से ही आज दलित व पिछड़ा वर्ग अपने को इंसान समझ रहा है। झमता, क्रान्ति एवं परिवर्तन के अग्रदूत आशा और जिज्ञासा के प्रतीक गरीबों के मसीहा विश्व रत्न एवं पथ प्रदर्शक के रूप में बाबा साहब ने इनके लिए अनेको कार्य किये। और दलित एवं पिछड़े समाज को उच्च स्थान दिलाने के लिये जीवनपर्यन्त संधर्ष किया।

डॉ0 अम्बेडकर ने अपने विचारों एवं कार्यों से यह साबित कर दिया कि वे सबके लिए थे। वे गरीब, कमजोर, दीनहीन के नेता थे। इसका प्रमाण उनकी लेखनी उनका संघर्ष और भारत का संविधान है जो बिना डॉ0 अम्बेडकर के सम्भव नही था। आज पिछड़े वर्गों के बीच जो जागरण व राजनीतिक जागरूकता दिखाई दे रही है। वह डॉ0 अम्बेडकर के विचारों की आज के समय में उनकी भूमिका को रेखांकित करती है। आज आत्मसम्मान की प्रकृति धीरे–धीरे बढती जा रही है। इसका एक मात्र कारण शिक्षा का प्रसार एवं सुलम संखर व्यवस्था की उपलब्धि और राजनैतिक अधिकार की प्राप्ति है। आज समाज ऐसे स्थान पर पहुॅच गया है जहॉ से उसकी प्रगति में बाधा पहुचानें वालों को कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। समाज में विशेषकर पिछड़े समाज में टकराव की स्थिति अधिक दिखाई पड़ती है।

निष्कर्षत

कहा जा सकता है कि एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य में पिछड़ों का उत्थान करना, राज्य तथा उसके प्रबुद्ध नागरिकों का कर्तव्य है। राष्ट्र में किसी भी वर्ग में यदि कोई निर्धन और पिछड़ा हुआ है, भले ही वह किसी जाति का क्यों न हो, वह विशेष सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। परन्तु दुःख की बात है कि आरक्षण और सामाजिक न्याय की स्थापना आज हमारे राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली और वोट बैंक की राजनीति बन गए हैं। पिछड़े वर्ग के उत्थान में संबैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और संबैधानिक प्रावधानों पर डॉ0 बाबा साहब के विचारों का। इसलिए अम्बेडकरवादी दृष्टिकोण का पिछड़े वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिसकी परिणति 1992 में पिछड़े वर्गो को 27 प्रतिशत आरक्षण के रूप में होती है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. प्रो0 सुरेन्द्र सिंह, *समकालीन भारतीय समाज,* बाला जी प्रकाशन, वाराणसी 2008 – पृ0

161.

2. सुभाष कश्यप एवं विश्व प्रकाश गुप्ता, *राजनीति कोश,* राजकमल प्रकाशन दिल्ली–1971 पृ0 **24**.
3. प्रो0 एम0 एल0 गुप्ता, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा – 2009 पृ0 **207.**
4. संकेत : डॉ0 अम्बेडकर साहित्य कला केन्द्र, वाराणसी 1997– पृ0 **63.**
5. *भारतीय दलित, समस्याएं व समाधान,* डॉ0 रामगोपाल मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल– 1997 – पृ0 **51**.
6. *अछूत कौन और कैसे,* डॉ0 भीमराव अम्बेडकर अनुवाद जुगल किशोर बौद्ध, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, 1973 पृ0 **63.**